

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : [mdrmisc@nic.in](mailto:mdrmisc@nic.in)

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: [www.rmsc.health.rajasthan.gov.in](http://www.rmsc.health.rajasthan.gov.in)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/१५१

दिनांक : 03/07/2024

आदेश

M/s Sunlife Sciences .130, Kurdi, Jhabrera Road, Manglour, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand- 247656 से निविदा क्रमांक F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-10/2022/1236 दिनांक 30.04.2022 के तहत औषधि Cefuroxime Axetil 500 mg. Tab. I.P.[NRD-591] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 7416 दिनांक 20.03.2023, 1359 दिनांक 20.05.2023 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में सप्लाई की गयी औषधि पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा की गई जांच में औषधि का बैच (T-230200) Assay व Dissolution test में फेल होने के कारण अमानक कोटि का पाया गया।

उक्त बैच को पुनः Testing हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैच (T-230200) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 22.05.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने औषधि के बैच (T-230200) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debaring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Sunlife Sciences .130, Kurdi, Jhabrera Road, Manglour, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand- 247656 की औषधि Cefuroxime Axetil 500 mg. Tab. I.P.[NRD-591] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेंटशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

नेहा गिरि  
आई.ए.एस  
प्रबन्ध निदेशक

**Signature valid**RajKaj Ref  
8461389

Digitally signed by Neha Giri  
Designation : Managing Director  
Date: 2024.07.02 17:38:40 IST  
Reason: Approval

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/१५१ दिनांक : ०३/०७/२०२५  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/उत्तराखण्ड।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Sunlife Sciences .130, Kurdi, Jhabrera Road, Manglour, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand- 247656
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref  
8461389

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri  
Designation: Managing Director  
Date: 2024.07.02 17:38:40 IST  
Reason: Approved